

सोवामें,

श्रीमान प्रधानाध्यापक ,
राजकीय माध्यमिक विद्यालय दीपावत नगर
पं.स. लोहावट जिला जोधपुर।

विषय:- अपने पुत्र/पुत्री/संरक्षित को विद्यालय भेजने की सहमति देने के अनुक्रम में।
महोदयजी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार के आदेश प.7(1)गृह-7/2021 दिनांक 17 सितम्बर 2021 को जारी दिशा निर्देश 6.0(एसओपी) के अधीन निम्नलिखित पुत्र/पुत्री/संरक्षित को विद्यालय भिजवाने हेतु अपनी सहमति देते हैं।

विश्वास दिलाते हैं कि एक जागरूक अभिभावक के रूप में जिन पुत्र/पुत्री/संरक्षित को विद्यालय भेजने की सहमति दी है वे कोविड-19 की विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन व संबन्धित सुरक्षा प्रबन्ध का पालन करेंगे। किसी भी प्रावधान या गाईड लाईन का उल्लंघन करने पर संबन्धित को विद्यालय में अध्ययन हेतु अनुमत नहीं किया जावे।

क्र.सं.	नाम छात्र/छात्रा	पिता/संरक्षक का नाम	कक्षा	सहमति की दिनांक	छात्र के साथ संबन्ध	सहमति देने वाले के हस्ताक्षर
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						